(2)

17/1 मुकदमी मेहता वकील उपस्थित आये
चाहे जवाब दिए 20-1-20 की पेशी दी
अ

20/1 मुकदमी मेहता वकील उपस्थित आये
चाहे जवाब दिए 21-1-20 की पेशी दी
अ

21/1 मुकदमी मेहता वकील उपस्थित आये प्रार्थना
हियरिंग होने के बाद मुकदमी दिए 8-1-20 की
पेशी दी।

8/1/20 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार
ने जवाब पेश किया। वास्ते पत्रावली
बहस में नियत कि गई। वकील
उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते
निर्णय दिनांक 22/1/20 को पेश हो।
अ

22/1/20 मुकदमी मेहता वकील उपस्थित व पैरोकार सरकार
उपस्थित।
अपर जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर आर-13
राजकुमार सुपुत्र रामेश्वर सैनी निवासी जयपुर
निर्णय पृथक से लिखकर अपर जिला कलक्टर
सिकराय द्वारा। अतः हिंदू विवाह अधिनियम की धारा
13 के अन्तर्गत मुकदमी मिसल खारिज होकर वकील
की निर्णय मेरे द्वारा लिखकर अपर जिला
मजिस्ट्रेट को सुनाया गया।

अ 22/1/2020
अपर जिला मजिस्ट्रेट
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2020.01.29 14:29:59 IST
Reason: SelfAttested